

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. राजू भाई मोढ पुत्र रतीलाल मोढ, जाति-घांची, निवासी- मोढ भवन, मोहल्ला हीरागर, सांतपुर, तहसील- आवूरोड, जिला- सिरौही
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)
फर्म:- डी.एम.आर. सुपर मार्केट, सेठिया आईरन के पास, सांतपुर, तहसील- आवूरोड, जिला- सिरौही
2. तरुण कुमार अग्रवाल पुत्र शंकरलाल अग्रवाल, आजाद मैदान, आवूरोड, जिला- सिरौही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)
फर्म:- तरुणकुमार शंकरलाल अग्रवाल, आजाद मैदान, आवूरोड, जिला- सिरौही
3. नारायणदास पुत्र भगवानदास बादानी, G-21, Galaxy tower, Badakdev, Ahmedabad City, Bodakdev, Ahemdabad, Gujrat-380054
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)
फर्म:- सतीश कुमार नारायणदास, 170, Sindhi Commercial Market, Danapith Lat, Kalupur, Ahmedabad-380002
4. Mshoeb Akadar Mutawalli
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर निर्माता फर्म)
फर्म:- Sabar Agro Ind., Add-G I D C, 122, Motipura, Himatnagar, Ta. Himatnagar, Sabarkantha, Gujrat-383001

प्रकरण संख्या: 63/2021

“अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 ”

उपस्थिति:

1. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः राजू भाई मोढ व तरुण कुमार अग्रवाल
2. अधिवक्ता श्री एस.ए. शेख, प्रतिवादी संख्या- 3 ओर से
3. श्री महावीर कुमार जैन, सहायक प्रबन्धक, Sabar Agro Ind.

-: निर्णय :-

दिनांक 18 फरवरी, 2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 22.12.2020 को दौराने गश्त समय 5.15 पी.एम. पर फर्म डी.एम.आर. सुपर मार्केट, सेठिया आईरन के पास, सांतपुर, आवूरोड, जिला- सिरौही पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से राजू भाई मोढ पुत्र रतीलाल मोढ, जाति- घांची, निवासी- मोढ भवन,



d

मोहल्ला हीरागर, सांतपुर, तहसील- आबूरोड, जिला- सिराही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड)का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान के अन्दर विक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) के एक 30 किलोग्राम सील्ड पैक बैग को खोलकर अच्छी तरह हिलामिलाकर एकरुप किया एवं इस एकरुप की हुई उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) में से 4 किलोग्राम उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) को जांच हेतु एक साफ सूखे, खाली भिगोने में खरीदा एवं उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) की कीमत 408/- रुपये नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म संख्या 5ए तैयार कर, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर किये एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक के जार दिखाए एवं लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-1338, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। फिर खरीदशुदा उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड)को चारों प्लास्टिक के जारों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा एवं जारों को ढक्कन से एयरटाइट बन्द किया। चारों नमूना जारों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं एक नमूने के साथ सेम्पल का मूल लेबल लगाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिराही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1338 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता राजू भाई मोड व गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पहुँच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उन पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपड़ी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सील चपड़ी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 24.12.2020 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्रीमती भावना देवी, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिराही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त

.....पेज तीन पर

d

24-12-2020

की तथा दिनांक 22.12.2020 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरौही को मेरे द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही से खाद्य पदार्थ उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता राजू भाई मोढ से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) का नमूना S-1338 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थापन आदेश, एरिया नोटिफिकेशन के साथे अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर प्रतिवादीगण के द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) के विक्रय को उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 07.2.2022 को प्रतिवादी संख्या-1 व 2 क्रमशः राजू भाई मोढ व तरुण कुमार अग्रवाल ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर अलग अलग जवाब प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादी संख्या-3 की ओर से अधिवक्ता श्री एस.ए.शेख ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या- 4 की ओर से श्री महावीर कुमार जैन, सहायक प्रबन्धक, Sabar Agro Ind. ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 07.2.2022 को श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नहीं हुये एवं प्रतिवादीगण की ओर से उक्तानुसार अलग अलग जवाब प्रस्तुत हो जान से सुनवाई तिथि 01.11.2021 को ही प्रतिवादी पक्ष को सुना गया। प्रतिवादी संख्या- 1 व 2 ने बहस के दौरान उनकी ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया एवं प्रतिवादी संख्या-3 के अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या-3 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा प्रतिवादी संख्या- 4 की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि श्री महावीर कुमार जैन ने प्रतिवादी संख्या-4 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

(4) हमने सुनी गई बहस एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि दिनांक 22.12.2020 को 5.15 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा
.....पेज चार पर

d

अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोंही खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म डी.एम.आर. सुपर मार्केट, सेठिया आईरन के पास, सांतपुर, तहसील- आवूरोड, जिला- सिरोंही पर गये। उक्त फर्म डी.एम.आर.सुपर मार्केट में खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से राजु भाई मोढ पुत्र रतीलाल मोढ, जाति-घांची, निवासी- मोढ भवन, मोहल्ला हीरागर, सांतपुर, तहसील- आवूरोड, जिला- सिरोंही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना कय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोंही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता राजु भाई मोढ को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान के समक्ष दुकान के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) के एक 30 किलोग्राम सीलड पैक बग को खोलकर उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) को अच्छी तरह हिलामिलाकर एकरुप किया व इस एकरुप की हुई उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) में से 4 किलोग्राम उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) को जांच हेतु एक साफ, सूखे, खाली भिगाने में खरीदी एवं उसकी कीमत राशि 408/- (अक्षरे रुपये चार सौ आठ मात्र) विक्रता राजु भाई मोढ को नकद अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता राजु भाई मोढ, गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान को चार साफ सूखे खाली प्लास्टिक जार दिखाये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौकं पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोंही के कोड एवं क्रमांक S-1338, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता राजु भाई मोढ व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा खरीद शुदा उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) को चारों प्लास्टिक जारों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा तथा जारों को ढक्कन से एयरटाइट बन्द किया। चारों नमूना जारों पर पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं एक नमूना जार के साथ उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) का मूल लेबल लगाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोंही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1328 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों भागों का आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौकं पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता राजु भाई

.....पेज पांच पर

d

मोड, उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म डी.एम.आर. सुपर मार्केट, सेठिया आईरन के पास, आवूरगंड, जिला- सिरौही में खाद्य कारोबारकर्ता राजु भाई मोड से खाद्य पदार्थ उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) के चारो नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारो नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सिल चपड़ी से सिलड किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 24.12.2020 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा भावना देवी, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफावे को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही को दिनांक 22.12.2020 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में खाद्य पदार्थ उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1338 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1098/Act/2020/ दिनांक 07.1.2021 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म डी.एम.आर. सुपर मार्केट, सेठिया आईरन के पास, आवूरगंड, जिला- सिरौही में खाद्य कारोबारकर्ता राजुभाई मोड से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड)का नमूना S-1338 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 52 के तहत जुमनि योग्य अपराध है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) के पैकिंग लेवल पर Batch No. एवं निर्माण/पैकिंग तिथि अंकित नहीं थी, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (पैकिंग व लेबलिंग) विनियम 2011 के विनियम संख्या 2.2.2(8) व 2.2.2(9) का उल्लंघन है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2021/335-38 दिनांक 25.01.2021 से खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी राजू भाई मोड एवं निर्माता फर्म को प्रेषित कर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपील आवेदन प्रारूप 8

....पेज छः पर

2

जिला- सिरौही
दिनांक 01.01.2021

में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन संबंधित ने अपील आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी राजू भाई मोढ की फर्म डी.एम.आर.सुपर मार्केट, सेठिया आईरन के पास, सांतपुर, तह. आबूरोड, जिला-सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) के 30 किलोग्राम के सील्ड पैक बैग को बिल नम्बर 1739 दिनांक 21.12.2020 के द्वारा फर्म तरुणकुमार शंकरलाल अग्रवाल, आजाद मैदान, आबूरोड से क्रय किया था, जो प्रतिवादी तरुण कुमार अग्रवाल की फर्म है। प्रतिवादी तरुण कुमार अग्रवाल की फर्म तरुणकुमार शंकरलाल अग्रवाल, आजाद मैदान, आबूरोड ने उक्त खाद्य पदार्थ उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) के 30 किलोग्राम के सील्ड पैक बैग को फर्म सतीशकुमार नारायणदास से बिल नम्बर 8413 दिनांक 04.12.2020 से क्रय किया था, जो प्रतिवादी संख्या-3 (नारायणदास) की फर्म है तथा प्रतिवादी नारायणदास की फर्म सतीशकुमार नारायणदास को खाद्य पदार्थ उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) की सप्लाय व विक्रय बिल इनवाइस नम्बर 443 दिनांक 01.12.2020 से निर्माता फर्म SABAR AGRO INDUSTRIES द्वारा की गई थी, जो प्रतिवादी संख्या-4 की फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए हैं, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य सामग्री उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी राजू भाई मोढ पुत्र रतोलाल मोढ, जाति-चांची, निवासी-मोढ भवन, मोहल्ला हीरागर, सांतपुर, तहसील- आबूरोड, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म डी.एम.आर. सुपर मार्केट, सेठिया आईरन के पास, सांतपुर, तहसील- आबूरोड, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 5,000/- (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र), प्रतिवादी तरुण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री शंकरलाल अग्रवाल, आजाद मैदान, आबूरोड, खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर, फर्म तरुण कुमार शंकरलाल अग्रवाल, आजाद मैदान, आबूरोड, जिला-सिरोही पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र), प्रतिवादी नारायणदास पुत्र श्री भगवानदास बोदानी, G-21, Galaxy tower, Badakdev, Ahmedabad City, Bodakdev, Ahemdabad, Gujrat-380054, खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर, फर्म सतीश कुमार नारायणदास, 170, Sindhi Commercial Market, Danapith Lat, Kalupur, Ahmedabad-380002 पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य सामग्री उडद मोगर दाल (रंगोली ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी Mshoeb Akadar Mutawalli, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटरी निर्माता फर्म, Sabar Agro Ind., Add-G I D C, 122, Motipura, Himatnagar, Ta, Himatnagar, Sabarkantha, Gujrat-383001 पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी संख्या 1 से

.....पेज सात पर

d

- 4 को आदेशित किया जाता है कि उन पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में अलग-अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही